न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–144 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–39 / 2017
अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

06.03.2026 याचिकाकर्ता 1. परशुराम सिंह एवं 2. नन्हकु सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शंभू यादव तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 39 / 2017, दिनांक 11.02.2017, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदकगण की ओर से मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकगण का पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन विद्वान जिला न्यायाधीश–पटना के यहां दाखिल किया गया था जिसे पूर्व में खारिज किया जा चुका है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है, इनको इस केस में गलत फंसाया गया है, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकों के द्वारा कोई फायरिंग नहीं किया गया है क्योंकि घटनास्थल से पुलिस के द्वारा कोई–भी गोली बरामद नहीं किया गया है। आगे इनका यह भी कहना है कि बलराम सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1230 / 2025, दिनांक–19.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। आगे इनका कहना है कि सह–अभियुक्त का इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत आवेदन को खारिज किया जा चुका है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि इस वाद के सूचक के फर्द–ब्यान के आधार पर बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–39 / 2017, अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324 भा0द0वि0 तथा आर्म्स एक्ट 27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है जिसमें सूचक–रंजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि दिनांक–16.01.2017 को उनके घर के पास सड़क पर बिजली का पोल गाड़ा जा रहा था जिसको लेकर ग्रामीण–झगडू सिंह और उसके बीच झगड़ा हुआ था उसी बात को लेकर दिनांक–17.01.2017 को 03.00 बजे दिन में जब वह अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था तो बलराम सिंह, परशुराम सिंह, रंजीत सिंह, नन्हकु सिंह, मुनारिक सिंह, भगीरथ सिंह, झगडू सिंह, विजय सिंह एवं रामजन्म सिंह सभी लोग देशी रायफल, गड़ासा एवं लाठी–डंडा से लैस होकर बैठे थे और सूचक पर हमला कर

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–144 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–39 / 2017
अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

लगातार

06.03.2026

दिए तभी बलराम सिंह सूचक पर गोली चला दिए। उसके बाद परशुराम सिंह भी गोली चलाए। जान बचाकर सूचक भागना चाहा तो नन्हकु सिंह उसके सिर पर गड़ासा चला दिए जिससे वह बुरी तरह जख्मी होकर गिर गया एवं सूचक का मोबाइल, सोने का चैन, पॉकेट से तीन हजार रूपए और साइकिल लेकर भाग गए।

कांड दैनिकी के कंडिका–4 अवलोकन से यह विदित् हाता है कि सूचक ने अपने पुनः, ब्यान में घटना का समर्थन किया है तथा बताया है कि बलराम सिंह एवं परशुराम सिंह जोकि आवेदक हैं, इनके उपर गोली चलाई थी। जब वह भागने का प्रयास किए तो आवेदक–नन्हकु सिंह इनके सिर पर गड़ासा से प्रहार किया था। कंडिका–6 में साक्षी–अशोक सिंह ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–7 में साक्षी–प्रमोद कुमार सिंह एवं साक्षी–संजय सिंह ने भी घटना का समर्थन किया है। आवेदकगण द्वारा सूचक के उपर गोली चलाने एवं गड़ासा से वार करने का विशिष्ट आरोप है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए को आवेदक अभियुक्तगण–1. परशुराम सिंह एवं 2. नन्हकु सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़